राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 92 / 2023

प्रहलाद सिंह बनाम अनिता कुमारी वगै0

प्रहलाद सिहं आयु 60 वर्ष पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी देवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।

आवेदक / प्रार्थी

बनाम

1. अनिता कुमारी पुत्री ताराचन्द पत्नी राजेन्द्र जातिं नट निवासी रहमपुर की ढाणी तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
2. अर्जुन पुत्र गुलाराम जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
3. चन्द्रभान पुत्र ताराचन्द जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
4. फुलाराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
5. मंगलचन्द पुत्र गुलाराम जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
6. मदनलाल पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
7. महेन्द्र पुत्र गुलाराम जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
8. मायादेवी पत्नी ताराचन्द जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
9. पतासी पत्नी सुगना जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
10. जिलेसिहं पुत्र सुगना जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
11. हरिसिहं पुत्र सुगना जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
12. मूलचन्द पुत्र सुगना जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
13. राधेश्याम पुत्र सुगना जाति नायक निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
14. बिमला पुत्री सुगना पत्नी महेन्द्रसिहं जाति नायक निवासी गारीण्डा तन पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
15. कमला पुत्री सुगना पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी गारीण्डा तन पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुझुनूं ।
16. मुकेश कुमारी पुत्री सुगना पत्नी सुभाष जाति नायक निवासी गारीण्डा पोस्ट झेरली तहसील सुरजगढ जिला झुझुनूं ।
17. संदीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति नट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
18. सुभाष पुत्र गुलाराम जाति नट निवासी देवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं (नाऔलाद फौत)

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

19. सुमन पुत्री ताराचन्द पत्नी मुकेशकुमार जाति नट निवारी रहमपुर की ढाणी तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)
20. चुपिया देवी पत्नी सीताराम जाति नट निवारी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं।
21. बाबुलाल पुत्र सीताराम जाति नट निवारी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनू ।
22. प्रियंका पुत्री सीताराम जाति नट निवारी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं ।
23. संगीता पुत्री सीताराम जाति नट निवारी ढेवा का बास तहसील व जिला झुझुनूं ।
24. परमेश्वरलाल पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुन्झुनू।
25. रेखा कुमारी पुत्री राजपाल पत्नी जयप्रकाश माठ जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।
26. विमलादेवी पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुन्झुनू।
27. शक्तिमान पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुन्झुनू।
28. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाख बी. सी. झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं जरिये मैनेजर।
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कलेक्ट्रेट सर्किल झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं जरिये मैनेजर।
30. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डाबड़ी बलौदा तहसील व जिला झुझुनूं जरिये मैनेजर।
31. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाकरा तह व जिला झुन्झुनू।
32. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं ।

अनावेदकगण / अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

विवेचन दिनांक 07/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम देवा का बास पटवार हल्का बाकरा में स्थित है जिसके हाल ख.न. 5 रकबा 1.37 हैक्टर है। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 23 की सह खातेदासी की भूमि ग्राम देवा का बास पटवार हल्का बाकरा में स्थित है जिसके हाल ख.न. 11 रकबा 2.87 हैक्टर है। अप्रार्थीगण नं. 24 लगायत 27 की सह खातेदारी की भूमि ग्राम देवा का बास पटवार हल्का बाकरा में स्थित है जिसके हाल ख.न. 8 रकबा 22 हैक्टर, ख.न. 9 रकबा 1.20 हैक्टर है। अप्रार्थी नं. 24 लगायत 27 व प्रार्थी एक ही परिवार के व्यक्ति है जिनका पूर्वज हरदेवा था। प्रार्थी अपनी काश्त की भूमि में ख.न. 11 ख.न. 9 व ख.न.8 में से होते हुये अपनी काश्त की भूमि में भूमि ख.न. 5 में हमेशा आता जाता रहा है। एक कटान का आम रास्ता ढेवा का बास से शिशियां जाता है जिससे मार्क ए. बी. सी. से प्रार्थी अपने खेत में हमेशा जाता रहा है ख.न. 5. 9 व 8 की भूमि पूर्व में हरदेवाराम की थी जो अब अलग अलग काश्त कर रहे है। हरदेवाराम के समय भी मार्क ए. से बी. रास्ते से जाकर ख.न. 5. 8 व 9 की भूमि काश्त होती थी। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 27 ने प्रार्थी के खेत

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

का एक मात्र रास्ता बन्द कर दिया प्रार्थी के खेत ख.न. 5 के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को रासते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी के मार्क ए. बी. सी. रास्ता निकटम दुरी का भी है उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 27 ने बन्द कर दिया। मार्क ए. बी. सी. रास्ता प्रार्थी 15 फुट चौड़ा दिलवाया जावे प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है काश्त प्रार्थी का मुख्य धन्धा है प्रार्थी अपने खेत में सिंचाई करता है व रिहायश बना रखी है इसलिये प्रार्थी को 15 फुट चौड़ा रास्ता मार्क ए. बी. सी. दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी मार्क ए. बी. सी. रास्ते में जाने वाली भूमि का डी. एल. सी दर से नियामनुसार भुगतान करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को हाल ख.न. 11, 9 व 8 वाके ग्राम देवा का बास में से मार्क ए. बी. सी. 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि का डी. एल. सी. दर से भुगतान करने को तैयार है।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 व 26, 27 की ओर तामिल विधिवित रूप से हो जाने के उपरान्त उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 25 व 24 से 27 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पत्रांक राज/251 क/2024/937 दिनांक 22.08.2024 द्वारा मौका रिपौर्ट पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5 में पहुंच हेतु रास्ता हेतु खसरा नम्बर 11, 9 व 8 में से बिंदु संख्या ए से बी, बी से सी, तथा सी से डी तक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की जोत तक पहंचु हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटान में दर्ज करवाया जावे। ग्राम ढेवा का बास पटवार हल्का बाकरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 05 में पहुंच हेतु भूमि खसरा नम्बर 11, 9 व 8 में से बिंदु संख्या ए से बी, बी से सी, तथा सी से डी तक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने से यह तथ्य जाहिर है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पि मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर गनन किया गया। उक्त तथ्यों के आधार एवं न्यायालय मत पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम ढेवा का बास पटवार हल्का बाकरा के भूमि खसरा नम्बर 05 में

Scanned with OKEN Scanner

पहुंच हेतु भूमि खसरा नंम्बर 11, 9 व 8 में से 4 मीटर चौड़ा व 182 मीटर लम्बाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। आवेदक उक्त भूमि के बदले खसरा नम्बर 11 (बिंदु संख्या ए से बी) के खातेदार को रास्ता भूमि बाबत डीएलसी राशि की दोगूनी राशी खसरा नम्बर 11 के खातेदारों को अदा करें। राशि नहीं लेने की स्थिति में उक्त राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जावे। खसरा नम्बर 9 व 8 में से रास्ता में जाने वाली भूमि (बी से सी व सी से डी) बाबत आवेदक उक्त रास्ता भूमि के बदले उतनी ही भूमि (जितनी रास्ता दर्ज करने हेतु खातेदारी से कम हुई है।) अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5 में से खसरा नम्बर 8 व 9 के खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रवाली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner